क्रमांक-65

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

गुरुवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 (भाद्र 15, 1940)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.63-सतना से निर्वाचित सदस्य, श्री शंकरलाल तिवारी को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, सतना एवं जिला दण्डाधिकारी, सतना की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 04.09.2018, जो इस सचिवालय में दिनांक 05.09.2018 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

'' मुझे आपको यह सूचना देनी है कि भादवि की धारा 147, 148, 341, 336, 353, 332 186 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री शंकरलाल तिवारी को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी कर निरुद्ध कर लिया जाये.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री शंकरलाल तिवारी को दिनांक 04.09.2018 को 11.00 बजे बंदी कर अभिरक्षा में लिया गया एवं उन्हें उसी दिन मा.न्यायालय सी.जे.एम., सतना के द्वारा जमानत पर निर्मुक्त किया गया. ''

पी.एन. विश्वकर्मा
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.